कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./5477 दुर्ग, दिनांक 27/07/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

विषय :— **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 under Rehabillitation and upgradation to 2-lane/4 lane of NH-930 Jhalmala-balod-kushumkasha-manpur-kohka in the state of chhattisgarh, area-73.42611 regarding.**
(Registration No. FP/CG/ROAD/29243/2017)

संदर्भ :— 1) आपका पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/सिंचाई/एल.एम. 425–61/935 दि. 1.4.2017.
2) वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव का पत्र क्र./मा.चि./44/1258 दि 16.07.2019.

▲▲▲

निवेदन है कि, प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार प्राप्त प्रस्ताव अनुसार आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 1 रायपुर (छ.ग.) द्वारा राजनांदगांव वनमण्डल के अंतर्गत रकबा 46.955 हे. एवं बालोद वनमण्डल अंतर्गत रकबा 26.471 हे. दोनो वनमण्डल अंतर्गत कुल रकबा 73.426 हे. क्षेत्र की मांग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–930 झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग (छ.ग./महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

उक्त प्राप्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धांतों के औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बिन्दुवार जानकारी सहित प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो अनुशंसा सहित मूलतः 04 प्रतियों में आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संलग्न सम्प्रेषित है। भाग-3

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.अधि./5478 दुर्ग, दिनांक 27/07/2019

प्रतिलिपि :— वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
27/7/19

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

"हाँ" दि० 25-7-2019

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

"व.म.अ. राजनांदगाँव / बालोद के सुझाव से सहमत"

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

वनमंडल राजनांदगाँव रकबा 46.955 हे. एवं बालोद वनमंडल अन्तर्गत रकबा 26.471 हे. कुल = 73.426 हे. मार्ग उन्नयन हेतु स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

(एस.डी. बडगैया) भा.व.से.

नाम

मुख्य वन संरक्षक (क्षे.)

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

सरकारी मोहर

दिनांक :- 29/7/19

स्थान :- दुर्ग